संख्याः 979/2020/979/ नौ-9-2020-92ज / 20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1- **निदेशक**, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2- **समस्त जिलाधिकारी**, उ०प्र० ।
3- **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ०प्र० ।
4- **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ०प्र० ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2020**

विषयः प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर /निराश्रित परिवारों को आकस्मिकता की स्थिति / बीमारी की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि / दाह संस्कार हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना ।

महोदय,

प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर / निराश्रित परिवारों को आकस्मिकता / आर्थिक रूप से विपन्नता के कारण भुखमरी का सामना न करना पड़े, उन्हें बीमारी की स्थिति में इलाज कराने हेतु आर्थिक तंगी न हो एवं किन्ही परिस्थितियों में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में आर्थिक विपन्नता के कारण उसके दाह संस्कार / अन्त्येष्टि न हो पाने की स्थिति न उत्पन्न हो । इसके लिये प्रदेश सरकार ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग निम्न परिस्थितियों में करने का निर्णय लिया है :- 1- राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में अवमुक्त धनराशि का सर्वप्रथम उपयोग निकाय के अधिष्ठान मद में सृजित होने वाली देनदारियों के भुगतान के सापेक्ष किया जाना चाहिये। यथा निकाय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन / भत्ते / पेंशन आदि का भुगतान किये। जाने हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिये जिससे किसी भी प्रकार के कार्मिक जो निकाय में कार्यरत अथवा निकाय हेतु कार्य कर रहे है, उनके वेतन / मानदेय भुगतान विलम्बित न हो और भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित हो ।

2- आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि / दाह संस्कार हेतु अनुमन्य सहायताः- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के किसी सदस्य की मत्यु होने की स्थिति में उसके दाह संस्कार के लिये उक्त परिवार के सक्षम न होने की दशा में ऐसे परिवार के सदस्य को रूपये 5000 की अधिकतम सीमा तक धनराशि अन्त्येष्टि/दाह संस्कार हेतु स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । **3- एक—बारीय चिकित्सीय सुविधा / आर्थिक सहायता :-** नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों में आर्थिक रूप से कमजोर / गरीब परिवारों के सदस्यों के अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम न होने की दशा में चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में क्रियान्वित आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से उन्हें आच्छादित कर सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से विपन्न है और उपरोक्त योजना यथा आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कार्ड से किसी कारणवश वंचित है, तो उसे तात्कालिक रूप से चिकित्सा हेतु संबंधित निकाय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त के पात्र होने की दशा में इस विषयगत एक बारीय रूप से 2000 /- रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निकाय को अवगत कराया जायेगा एवं उपरोक्त अनुमन्य सहायता एकबार हेतु उक्त परिवार के लिये तदनुसार राज्य वित्त की धनराशि से अनुमन्य होगी। उपरोक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ परिवार को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवाने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- नगरीय क्षेत्रों में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई के कारण उत्पन्न विपन्नता के कारण भुखमरी का शिकार न होना पड़े इस हेतु कमजोर / गरीब परिवारों को उक्त आपातकालीन परिस्थितियों में तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु संबंधित निकाय क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा चयनित किये गये ऐसे पात्र परिवार को निकाय द्वारा रूपये 1000/- की सहायता राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से प्रदान की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति व परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ताकि आने वाले दिनों में उनके भरण-पोषण के लिये नियमित रूप से राशन प्राप्त हो सके।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-2, 3 व 4 के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु धनराशि उपरिवर्णित प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होगी तथापि इसमें निम्न प्रतिबन्ध होगें:-

(i) निकाय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि से कार्मिकों के अधिष्ठान यथा निकाय में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन/भत्ते / पेंशन / मानदेय आदि के भुगतान के पश्चात् अवशेष धनराशि से अनुमन्य कार्यों में से 03 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक ही उक्त प्रस्तर-2, 3 एवं 4 में वर्णित मदों में किया जा सकेगा। प्रस्तर- 2 में वर्णित मृत्यु हो जाने की दशा में दी जाने वाली सहायता के दृष्टिगत निकाय सूचना प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगे, परन्तु प्रस्तर-3 व 4 पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा लाभार्थी परिवारों के नाम / सूची विषयक निर्देश / संस्तुति प्राप्त होने के क्रम में ही कार्यवाही की जायेगी।

(ii) नगरीय निकायों में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि उपरोक्त प्रस्तर- 2, 3 व 4 में वर्णित कार्यों हेतु उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय द्वारा उक्त की सूचना संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे संबंधित जिलाधिकारी टी.आर. 27 से धनराशि आहरित कर सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेंगे एवं उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने हेतु आग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

6- रिपोर्टिंग -

नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी / नगर आयुक्त द्वारा शासनादेश में वर्णित श्रेणी में उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता राशि का विवरण लाभार्थी के नाम व पूर्ण पते (मोबाइल नम्बर सहित) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय इस रिपोर्टिंग के लिये एक प्रोफार्मा तैयार कर सभी नागर निकायों को अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जिलों में टी. आर 27 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1605 / नौ-9-10-76ज / 10, दिनांक- 12.07.2010 एवं तद्कम में निर्गत शासनादेश संख्या-2572 / नौ-9-2010-76ज / 2010, दिनांक 23.11.2010 की व्यवस्थाएं उपर्युक्त सीमा तक संशोधित की जा रही हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख संचिव मा० मुख्यमंत्री जी. उ०प्र० शासन।
2- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व / राहत आयुक्त, उ०प्र० ।
3- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त, समाज कल्याण, नियोजन, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० ।
6- गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।